संख्याः–113 /06/XXVII(10)/2017

प्रेषक,

एल0एन0 पन्त,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड षासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड षासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 06 अप्रैल, 2017

विषयः– दिनांक 01, अक्टूबर, 2005 से लागू नई अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत अंशदान के रूप में होने वाली कटौतियों को जमा करने हेतु प्रकिया एवं सुसंगत लेखाषीर्शक में संशोधन विषयक।

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड राज्य में दिनांक 01.10.2005 के पश्चात राजकीय सेवा में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना संख्याः– 21/XXVII(7) अं0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.2005 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना के अन्तर्गत अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः–643/XXVII(7) (अं0पे0यो0)/2010 दिनांक 11.08.2010 के प्रस्तर–(2) के प्राविधानानुसार उक्त पेंशन योजना में कर्मिकों व नियोक्ता/सेवायोजक के अंश की धनराशि कोषागार द्वारा लेखाशीर्षक–''0071–पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में 00–117–नई पेंशन योजना, 01–कर्मचारी का अंश, 02–नियोक्ता का अंश'' के नामे जमा किये जाने की व्यवस्था की गई थी।

2. उक्त व्यवस्था के प्राविधानानुसार अंशदान के रूप में कटौती की गई धनराशि का लेखांकन सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में महालेखाकार, उत्तराण्ड द्वारा वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन (2015–16) में कतिपय आपत्ति दर्ज की गई है।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अंशदान पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मिकों के 10 प्रतिशत अंशदान की कटौती उनके वेतन मद के लेखाशीर्षक से करते हुये लेखाशीर्षक 8342011170301 में जमा किया जायेगा। साथ ही समतुल्य धनराशि सरकार के अंशदान के रूप में लेखाशीर्षक 2071011170301 से कटौती कर लेखाशीर्षक 8342011170302 में जमा की जायेगी। इस प्रकार लेखा शीर्षक 83420111703 में

Comp 2
455 vig

जमा कुल धनराशि को आहरित कर निदेशक, कोषागार द्वारा सी0आर0ए0 को प्रषित किया जायेगा।

4. उक्त व्यवस्था 01, अप्रैल, 2017 से प्रभावी मानी जायेगी। उक्त के फलस्वरूप उपरोलिखित कार्यालय ज्ञाप संख्याः–643/XXVII(7) (अं0पे0यो0)/2010 दिनांक 11.08.2010 का प्रस्तर–(2) इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

संख्याः– /06/XXVII(10)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रशित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

3– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

4– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

Comp 2
456 vig